समक्ष जी. आर. मजीठिया, न्यायमूर्ति.

श्रीमती शीला, - *अपीलकर्ता,*

बनाम

क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, चंडीगढ़ और अन्य,

उत्तरदाता।

आदेश सं 1983 के 926 से प्रथम अपील।

31 अगस्त, 1989।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 - धारा 2 (6-ए), 75 और 82 - *कारखाने जाते समय कर्मचारी की मृत्यु* - मृत्यु की घटना - चाहे रोजगार के दौरान - *कल्पित विस्तार का सिद्धांत* - लागू।

अभिनिर्णित किया की, सबसे महत्वपूर्ण यह महसूस करना है कि सैद्धांतिक विस्तार को मान्यता दी गई है। एक बार जब इस विशेष मामले से संबंधित तथ्यात्मक स्थिति पर काल्पनिक विस्तार का सिद्धांत ठीक से लागू हो जाता है, तो यह माना जाना चाहिए कि दुर्घटना काल्पनिक विस्तार सिद्धांत के भीतर आने वाले क्षेत्र के भीतर हुई थी। मृतक अपने काम के स्थान पर जा रहा था और कर्मचारी के आश्रित अधिनियम के तहत लाभ के हकदार होंगे।

(पैरा 6)

श्री एसएस चहल, पीसीएस, कर्मचारी बीमा न्यायालय, चंडीगढ़ के दिनांक 14 सितंबर, 1983 के आदेश से प्रथम अपील *में अपीलकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया गया और पक्षकारों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया।*

दावा:- *प्रतिवादी संख्या 2 के आक्षेपित आदेश को रद्द करने और प्रतिवादी संख्या* 11 *अक्टूबर, 1982* और *5 नवंबर, 1982*

के आक्षेपित आदेश को रद्द करने के लिए ईएसआई अधिनियम की *धारा 75* के तहत आवेदन। *क्रमशः 1 और 2, ईएसआई अधिनियम के तहत आश्रित लाभ प्रदान करने से इनकार करना।*

अपील में दावा:- निचली अदालत के आदेश को पलटने के लिए।

अपीलकर्ता की ओर *से अधिवक्ता आरएल चोपड़ा।*

उत्तरदाताओं के लिए *एडवोकेट के. एल. कपूर।*

निर्णय

जी. आर. मजीठिया, जे.

(1) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 82 (संक्षेप में अधिनियम) के तहत यह अपील कर्मचारी बीमा न्यायालय के आदेश के खिलाफ निर्देशित है। चंडीगढ़, जिसके तहत उन्होंने अधिनियम की धारा 75 के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया।

(2) तथ्य:

अपीलकर्ता का पति मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल एरिया, चंडीगढ़ में कार्यरत था। प्रतिष्ठान अधीनयां के अंतर्गत कवर किया गया है। वही अपीलकर्ता के मृत पति को भी एसी: टी के तहत कवर किया गया था और उसे बीमा नंबर 2340621 आवंटित किया गया था और अपीलकर्ता अधिनियम की धारा 2 (6-ए) के अर्थ के भीतर एक आश्रित है। 11 दिसंबर, 1981 को, अपीलकर्ता के मृत पति ने लगभग 8.30 बजे अपने घर को छोड़ दिया सुबह 9 बजे अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। वह सेक्टर 19, स्थानीय बस स्टैंड पर स्थानीय बस में सवार होता था। सुबह लगभग 9.30 बजे एक

अजनबी अपीलकर्ता के निवास पर आया और उसे सूचित किया कि कर्मचारी राज्य बीमा विभाग द्वारा जारी कार्ड ले जाने वाले व्यक्ति की स्थानीय बस स्टैंड सेक्टर 19, चंडीगढ़ में मृत्यु हो गई है। अपीलकर्ता ने इस संबंध में प्रतिवादियों को अधिनियम के तहत देय लाभ जारी करने के लिए सूचना दी। अधिनियम की धारा 75 के तहत याचिका दायर करने की आवश्यकता से इनकार कर दिया गया था।

(3) उत्तरदाताओं ने मुख्य रूप से इस आधार पर आवेदन का विरोध किया कि मौत रोजगार के दौरान नहीं हुई थी। रोजगार में कोई चोट नहीं थी। पक्षकारों की दलीलों ने निम्नलिखित मुद्दों को जन्म दिया -

(1) क्या दिनांक 11 अक्तूबर, 1982 और 5 नवम्बर, 1982 के आक्षेपित आदेश अवैध, अमान्य हैं और याचिका में उल्लिखित आधारों पर निरस्त किए जाने योग्य हैं। ओ.पी.पी।

(2) क्या प्रतिवादियों के खिलाफ याचिका सुनवाई योग्य नहीं है? ओ.पी.आर.

(3) मदद।

कर्मचारी बीमा अदालत ने पाया कि मृतक की मौत रोजगार की चोट के कारण नहीं हुई थी। नतीजतन, अपीलकर्ता के खिलाफ मुद्दा नंबर 1 पाया गया। मुद्दा संख्या 2 का जवाब अपीलकर्ता के पक्ष में दिया गया था।

(4) इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता का मृत पति अधिनियम के तहत कवर किया गया था और अपीलकर्ता मृतक की विधवा होने के नाते अधिनियम की धारा 2 (6-ए) के अर्थ के भीतर

निर्भर है। अपीलकर्ता मुकदमे में पीडब्ल्यूएल के रूप में पेश हुई और ओपी ने कहा कि उसका पति मेसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया में कार्यरत था। वह स्थानीय बस से फैक्ट्री जाता था। वह आम तौर पर सुबह 8.15 बजे आवास से निकलते थे। 11 दिसम्बर 1981 को सुबह वह श्री खन्ना के कार्यालय गए। लौटने पर, उन्होंने अपने आवास से अपना टिफिन उठाया और कारखाने के लिए रवाना हो गए। उनके जाने के 10/15 मिनट के भीतर, एक सज्जन ने उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र दिखाया और उन्हें सूचित किया कि कार्ड के धारक की स्थानीय बस स्टैंड पर मृत्यु हो गई है। वह बस स्टैंड पर पहुंची और उसके शव को इकट्ठा किया और उसे अपने आवास पर ले आई। अपीलकर्ता के साक्ष्य; कर्मचारी राज्य बीमा, चंडीगढ़ के प्रबंधक स्थानीय अधिकारी श्री ए. एस. सरीन के बयान से पुष्टि होती है कि उनके पति की मृत्यु बस स्टैंड पर हुई थी। उन्होंने शपथ पर कहा कि उन्होंने मामले की जांच की और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने कहा था कि बीमित व्यक्ति की मृत्यु चंडीगढ़ के सेक्टर 19 के स्थानीय बस स्टैंड पर सुबह 8.30 बजे हुई थी। मृत्यु का समय और स्थान आरडब्ल्यूएल के बयान से स्थापित होता है। अपीलकर्ता का यह कथन कि उसके पति की मृत्यु उस समय हुई जब वह कार्यालय जा रहा था, जिरह में स्पष्ट नहीं किया जा सका। उससे लंबी जिरह की गई, लेकिन वह चट्टान की तरह खड़ी थी और अपने पति की मृत्यु के तरीके, स्थान और समय के बारे में स्पष्ट थी। साक्ष्य के खंडन में श्री के. सी. शर्मा, बीमा निरीक्षक ने कहा कि मृतक को रोजगार में कोई चोट नहीं आई थी। जिरह में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मामले की जांच नहीं की। वह मृत्यु स्थल पर नहीं गया और न ही उसने अपीलकर्ता से उस दुर्घटना के संबंध में कोई पूछताछ की जिसमें उसके पति की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने मृतक की मौत के संबंध में पीजीआई

से कोई पूछताछ भी नहीं की। इस गवाह की गवाही पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है।

(5) जैसा कि ऊपर देखा गया है, केवल एक निष्कर्ष यह हो सकता है कि अपीलकर्ता के मृत पति की मृत्यु हो गई जब वह अपने काम के स्थान पर जा रहा था। यह निर्धारित करते समय कि क्या दुर्घटना रोजगार के दौरान हुई थी *सौराष्ट्र नमक विनिर्माण कंपनी बनाम बाई वलू राजा और अन्य* में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून से निम्नलिखित प्रस्ताव सामने आते हैं अर्थात्:

(1) एक नियम के रूप में एक कामगार का रोजगार तब तक शुरू नहीं होता है जब तक कि वह रोजगार के स्थान पर नहीं पहुंच जाता है और जब वह रोजगार के स्थान को छोड़ देता है तो जारी नहीं रहता है:

(2) उपर्युक्त नियम के बावजूद, अब कानून में यह अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि उक्त प्रस्ताव (i) एक शर्त के अधीन है, अर्थात्, यह कर्मचारियों के परिसर के काल्पनिक विस्तार के सिद्धांत के अधीन है ताकि एक ऐसे क्षेत्र को शामिल किया जा सके जिसे कामगार कार्य के वास्तविक स्थान पर जाने और छोड़ने में गुजरता है;

(3) 'समय' और 'स्थान' दोनों में उचित तरीके से विस्तार करने के लिए काल्पनिक विस्तार सिद्धांत का सहारा लिया जा सकता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या किसी कामगार के साथ दुर्घटना को रोजगार के दौरान माना जा सकता है, भले ही वह वास्तव में अपने रोजगार परिसर में नहीं पहुंचा था;

(4) प्रत्येक व्यक्ति के तथ्यों और परिस्थितियों की बहुत सावधानी

से जांच करनी होगी ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि दुर्घटना हर समय काल्पनिक विस्तार के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए श्रमिक के रोजगार के दौरान हुई थी या नहीं।

(6) हर एक और हर एक; उपर्युक्त में से प्रस्ताव, निर्णय के वास्तविक अनुपात को निर्धारित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह महसूस किया जाए कि सैद्धांतिक विस्तार को मान्यता दी गई है। एक बार जब इस विशेष मामले से संबंधित तथ्यात्मक स्थिति पर काल्पनिक विस्तार का सिद्धांत ठीक से लागू हो जाता है, तो यह माना जाना चाहिए कि दुर्घटना काल्पनिक विस्तार सिद्धांत के भीतर आने वाले क्षेत्र के भीतर हुई थी। मृतक अपने काम के स्थान पर जा रहा था और कर्मचारी के आश्रित अधिनियम के तहत लाभ के हकदार होंगे। सदगुणाबेन अमृतलाल और अन्य बनाम *कर्मचारी राज्य बीमा निगम, अहमदाबाद* (2)में एम.पी.ठक्कर, जे. के निम्नलिखित अवलोकनों को पुन: प्रस्तुत करना उपयोगी होगा।, जिसमें इसे इस प्रकार आयोजित किया गया था: -

"कामगार और कारखाने के बीच बस स्टैंड में केवल बस और कुछ मिनट लगते हैं। नोशनल विस्तार समय पर और अंतरिक्ष में भी स्वीकार्य है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित किया गया है। एक बार जब यह फॉर्मूला लागू हो जाता है, जैसा कि होना चाहिए, तो यह बेहिचक कहा जा सकता है कि संबंधित कर्मचारी काल्पनिक रूप से विस्तारित क्षेत्र के भीतर था। और इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि दुर्घटना रोजगार के दौरान हुई क्योंकि कामगार काम के स्थान की यात्रा पर निकला था। लेकिन इस तथ्य के लिए कि वह गिर गया था, वह कुछ ही

मिनटों में कारखाने में होता। हमारी राय में, काल्पनिक विस्तार सिद्धांत को वर्तमान जैसी स्थिति में सार्थक रूप से लागू किया जा सकता है ताकि श्रमिक को लाभ देने के लिए विधायिका के इरादे को प्रभावित किया जा सके। सामाजिक विवेक को खुश करने के लिए एक उदार दृष्टि से विकसित हुई योजना के संचालन की लागत में योगदान देती है। इसलिए हमारी राय है कि यह दुर्घटना रोजगार के दौरान हुई थी।

उपर्युक्त कारणों के लिए, अपील की अनुमति दी जाती है। कर्मचारी बीमा न्यायालय के आदेश को निरस्त किया जाता है और 10 अक्टूबर, 1982 और 5 नवंबर, 1982 के आदेशों को रद्द किया जाता है। प्रतिवादियों को इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर अधिनियम के तहत अपीलकर्ता को देय सभी लाभ जारी करने का निर्देश दिया जाता है। पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

पी.सी.जी.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह अपनी भाषा में इसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मंदीप सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer) Gurugram, हरियाणा